FORM-II

(For projects other than linear projects and plantations)

(Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date)

Government of Rajasthan
Office of the District Collector Pratapgarh

Ref.No. 2791 Dated 28.09.2022

TO WHOM SO EVER IT, MAY CONCERN

Incompliance of the Rule 6(3)(e)of the Forest (Conservation) Rules,2003[as amended vide the Forest(Conservation) Amendment Rules2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation)Amendment Rules 2016] it is certified that **74.2490** hectares of forest land proposed to be diverted in favors of RDSA Mining LLP for Marble Mining in the district falls within the jurisdiction of Pratapgarh village (s) **Danta** Gram Panchayat Bori-P in Peepalkhunt Tehsils. It is further certified that:

(a) The complete process of recognition and vesting of forest rights under the FRA, 2006 has been Carried out for the entire **74.2490** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s),Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as attachment 01 to 07 attachment......;

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and it implications, vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha or forest-dwellers, who are eligible under the FRA,2006;

(c) Each of the concerned Gram Sabha(s).has certified that all for malities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. Copies of certificate issued by the Gram Sabha (s) of **Danta** Gram Panchayat Bori-P villages(s) are enclosed as attachment......01......to attachment....07........;

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a. Quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabhas present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of tine FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where Applicable have been specifically safeguarded as per Section3 (I) of the FRA, 2006.

Encl.: As above.

(Sourabh Swami)
District Collector
Pratapgarh

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट - 1 (A)
(A TO K)

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

रा.प.रा. 1199 44

पंचायत/ उप समिति .... बोरी पी .... बैंच .... पीपलखूंट ....

बैठक होने की दिनाङ्क	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के ना[म]
1	2	3	4
22/5/22	रिंगाली वाला महुआ के वृक्ष के नीचे दोता गांव - दोतां	श्री प्रेमशंकर निनामा सरपंच श्रीमति काली देवी निनामा उपसरपंच	श्री ओम प्रकाश डा[मोर] ग्रा.वि.अधि. पीप[लखूंट] बापूलाल निना[मा] सहायक - बोर्ड बापूलाल निनामा सहायक वनपाल नारायण लाल पार[गी] वि.अ. सहायक

प्रेमशंकर निनामा
सरपंच
ग्राम पंचायत बोरी पी
पं.स.पीपलखूँट जि.प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned by CamScanner

(8)

(11)

प्रतापगढ़ (राज.) वर्ष 2022-23

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
5	6

आज दिनांक 27/04/2022 को श्रीमान उप शासन सचिव महोदय खान (ग्रुप-2) विभाग जयपुर के पत्रांक प.10(6)खान/ग्रुप-2/2019 दिनांक 12/03/2021 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 643 दिनांक 10/11/2021, 529 दिनांक 24.1.2022 के क्रम में / कार्यालय की पूर्व पत्रांक से ग्रा.पं. बोरीपीठ राजस्व ग्राम दातों के प्लाट नं. 01/2019 में 10.4462 हैक्टेयर प्लाट नं. 01/2019 में 74.2908 हैं. जिपउप/पंचा/2021-22/20 दि 12/4/2022 के आदेशानुसार पेसा अधिनियम के तहत ग्राम सभा के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के क्रम में पंचायत समिति पीपलखूंट के क्रमांक-पंसपी/संस्था/2022-23/66 दि 13/4/2022 के आदेशानुसार श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय के पत्रांक 20 दि. 12/4/2022, 529 दि 25/1/2022 एवं 643 दि 10/11/2022 की अनुपालना में ग्राम पंचायत बोरीपीठ के राजस्व ग्राम दातों के प्लाट नं. 01/2019 में क्षेत्र 74.2490 हैं. खनन क्षेत्र में स्थापित किये जाने हेतु राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपांतरण) अधि० 1999 के तहत दातों राजस्व ग्राम की ग्राम सभा का आयोजन श्री प्रेमशंकर निनामा सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम सभा की गई। जिसमें श्रीमान विकास अधिकारी महो. भी उपस्थित रहे। व कर्मचारियों एव जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

वालजी

ओझा
BDO

कनिष्ठ सहायक

स. वनपाल

वालजी

लालाराम

विजयालाल

प्रेमशंकर निनामा
सरपंच
ग्राम पंचायत बोरी पी
पं.स.पीपलखूंट जि.प्रतापगढ़ (र

प्रेमशंकर निनामा
सरपंच
ग्राम पंचायत बोरी पी

Scanned by CamScanner

प्रतापगढ़ (राज.) वर्ष 2022-23

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
5	6

1 सर्व प्रथम गत ग्राम सभा दिनांक 1/3/2022 को स्थान रिंगाली वाला महुआ के पेड़ के नीचे की गई थी। जो उपस्थित ग्राम वासियों को पढ़कर सुनाया गया। वह बताया गया की गत ग्राम सभा की सिफारिश मोजो RSSA-माइनिंग एल. एल. पी. द्वारा स्वीकार कर ली गई। जो निम्नानुसार है।

1. स्थानीय गांव दातां के निवासियों को उनकी शैक्षणिक योग्यतानुसार रोजगार दिया जावे।

2 माइन्स के 74.2410 हैं. वन भूमि है उसका इसकी कोई जमीन नहीं ली जावे।

3. माईन्स का वेस्ट माईन्स में ही डाला जायेगा न की बाहर कहीं और डम्प किया जायेगा।

4. गांव दातां में मॉडल इंग्लिश माध्यम विद्यालय खोला जावे।

5. ग्राम दातां में कालिका माता का मन्दिर बनाया जावे।

6. ग्राम दातां में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जावे।

हस्ताक्षर: बापूलाल, प्रभुलाल, शान्तिलाल, मंगू, प्रभुलाल, जायुलाल, [illegible], [illegible], [illegible], हरलाल, [illegible], गोपा, गौतमलाल, 27/4/2022, सोहन, [illegible], [illegible], [illegible]

प्रेमशंकर निनामा
सरपंच
ग्राम पंचायत बोरी पी
पं.स. पीपलखूंट जि. प्रतापगढ़ (राज.)

प्रेमशंकर निनामा
सरपंच
ग्राम पंचायत बोरी पी
प्रतापगढ़ (राज.)

ग्राम पंचायत बोरी पी
पीपलखूंट (राज.)

ग्राम पंचायत बोरी प्रतापगढ़ (राज.) वर्ष 2022-23

(1)

13

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
5	6
7. जो मजदूर माइन्स मे काम करते है उनका प्रोविडेन्ट फण्ड मे अनुदान कम्पनी द्वारा जमा किया जावे।	बागेश्वर नाथु
8. किसी मजदूर को माइन्स मे काम करते समय किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई खनन कम्पनी के माध्यम से होगी।	लक्ष्मण रामा
9. माइन्स की बाउन्डरी मे जिन प्रार्थियो का मकान व जमीन, रोड का किनारा आदि आता हो तो उसका पूर्ण रूप से मुआवजा दिया जावे।	गोविन्द लक्ष्मण
10. माइन्स के खनन कार्य से जो जिला खनिज फाउन्डेशन मे जो राशि आयेगी उस राशि का उपयोग गाँव बोरी के विकास मे किया जावे।	छगनजी [illegible] रमेश
11. आयुर्वेद हॉस्पिटल खोला जावे।	किशनराम
12. पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिये नियमित उपाय किये जावे।	शंकरलाल प्रतापसिंह
13. ग्राम बोरी मे सभी सरकारी भवन बनाने वालो के लिए एक निर्माण की राशि का ही उपयोग किया जावे।	रामलाल [illegible] प्रेमशंकर निनामा सरपंच ग्राम पंचायत बोरी पं.स. पीपलखूँट जि. प्रतापगढ़ (राज.)
14. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियो के लिए माइनिंग द्वारा आर्थिक सहायता दी जावे।	[illegible] प्रेमशंकर निनामा सरपंच ग्राम पंचायत बोरी पी (राज.)

Scanned by CamScanner

जिला प्रतापगढ़ (राज.) वर्ष 2022-23

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
5	6
15. सड़क की चौड़ाई 12 फीट से अधिक होने पर पूर्ण रूप से मुआवजा दिया जावे।	P (?) मि. डामरा
16. वन अधिकार समिति 2006 के तहत पेड़ पौधो की 50% भागीदारी ग्राम की समिति मे जमा होने चाहिये।	रमेश नि.
17. उपरोक्त सभी मांगों कम्पनी द्वारा (माईनिंग) द्वारा 5000/- पांच हजार रुपये के शपथ पत्र पर नोटेरी करवा कर दी जावे। उपरोक्त वर्णित सभी मांगे (क्र.स. 1-16 तक) माईनिंग द्वारा 5000/- पांच हजार रुपये के शपथ पत्र मय नोटेरी के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का फैसला ग्राम सभा मे उपस्थित लोगो द्वारा सर्व सहमति से लिया गया, एवं हाथ उपर कर समर्थन के साथ सर्व सहमति से अनुमोदन किया गया। अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नानुसार है:-	खेमलाल निनामा; दशरथ; रमेश; बापूलाल
अनापत्ति प्रमाण पत्र :-	
यह अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धो का अनुसूचित क्षेत्रों पर उनके लागु होने के सम्बन्ध मे उपान्तरण) अधिनियम 1999 के तहत राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र रियायत नियम 2017 के नियम 11(1)(ii) के अनुपालना मे मैसर्स, आर डी. एस एस माईनिंग एल. एल. पी, पारनी सदन, तेली मोहल्ला, मदनगंज - किशनगढ़ जिला - अजमेर को ग्राम-	प्रेमशंकर निनामा सरपंच ग्राम पंचायत बोरी पी पं.स.पीपलखूंट जि.प्रतापगढ़ (राज.); वार्ड पंच, वार्ड नं. ग्राम पंचायत बोरी पी पं.स.पीपलखूंट, जि. प्रतापगढ़ (राज.); प्रेमशंकर निनामा सरपंच ग्राम पंचायत बोरी पी (राज.)

(14) (E)

Scanned by CamScanner

जिला ......प्रतापगढ़........ (राज.) वर्ष 2022-23

(15) (P)

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
	6
ग्राम पंचायत बोरी(पी) के राजस्व ग्राम दाता केवलोर संख्या-01/2019 में क्षेत्रफल 74.2490 हे. किस्म वन भूमि के खनन किये जाने हेतु जारी किया गया है।	वार्ड पंच, वार्ड नं. 2 ग्राम पंचायत बोरी पी पं.स.पीपलखूंट, जि.प्रतापगढ़(राज.)
खान विभाग द्वारा मैसर्स आर.डी. एस.एल. माइनिंग एल.एल.पी, पारजी सदन तेली मोहल्ला, मदन गंज-किशनगढ़ जिला अजमेर को खनन पट्टा स्वीकृत किया जाता है तो ग्राम पंचायत बोरी (पी) को किसी प्रकार की आय नहीं होगी।	
यह अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम 1999 के नियम 3 (1) के तहत ग्राम सभा का विधिवत आयोजन करने पश्चात तथा सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जारी किया गया है।	
प्रसमाः- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम 1999 के सभी नियमों का पालन किया गया है।	प्रेमशंकर निनामा सरपंच ग्राम पंचायत बोरी पी पं.स.पीपलखूंट जि.प्रतापगढ़ (राज.)
ग्राम दाता तहसील-पीपलखूंट जिला-प्रतापगढ़ के राजस्व ग्राम-दाता के वन भूमि खसरा संख्या, 270, 271, 587/357, 588/361, 589/381, 402, 412, 413, 414, 415, 416, 420, 421, 424, 362, 376, 363, 364, 613/362, 614, 364 व 615/376 में आने वाले कुल क्षेत्रफल 74.2490 हेक्टेयर वनभूमि में खनन किये जाने	प्रेमशंकर निनामा सरपंच ग्राम पंचायत बोरी पी ...प्रतापगढ़ (राज.)

निरंतर

जिला प्रतापगढ़ (राज.) वर्ष 2022-23

8 / 16

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
5	6

वन भूमि वन खण्ड मे खनिज मार्बल के खनन (ओरे व ओरे वानिकी) हेतु प्लोट संख्या 01/2019 के सम्बन्ध मे ग्राम सभा मे खुली चर्चा कर कोहित क्षेत्र को खनन कार्य हेतु दिये जाने पर सर्व सम्मति से सहमति प्रदान की गई।

यह कि राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों मे लागु होने के सम्बन्ध मे उपान्तरण) अधिनियम 1999 के तहत राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 11(1)(ii) कि अनुपालना मे मेसर्स आर डी. एस. ए. माईनिंग एल. एल. पी. पारसी सदन, तेली मोहल्ला, मदन गंज-किशनगढ़ जिला अजमेर को ग्राम पंचायत बोरी पी के राजस्व ग्राम दाता के प्लोट संख्या-01/2019 मे क्षेत्रफल 74.2490 हेक्टेयर किस्म वन भूमि मे खनन किये जाने हेतु जारी किये गये मंशा पत्र एवं प्रस्ताव ग्राम सभा मे पढ़कर सुनाया गया एवं खनन कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सर्व सम्मति से सहमति प्रदान की गई।

उक्त परियोजना स्थाई प्रकृति की होने के कारण स्थानिय नागरिकों को रोजगार उपलब्ध होगा। जिससे इनके जीवन स्तर मे सुधार होगा व ग्राम पंचायत को इस परियोजना के चलने से आय होगी।

यह ग्राम सभा राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों-

प्रेमशंकर निनामा
सरपंच
ग्राम पंचायत बोरी पी
पं.स.पीपलखूंट जि.प्रतापगढ़ (राज

प्रेमशंकर निनामा
सरपंच
ग्राम पंचायत बोरी पी

Scanned by CamScanner

जिला ....प्रतापगढ़...... (राज.) वर्ष 20.22-23

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
5	6

में उनके लागू होने के सम्बन्ध में (पंचायत राज) अधिनियम 1999 के नियम 3(1) के तहत विधिवत रूप से आयोजित की गई तथा सभी प्रक्रिया एवं नियमों की पूर्ण पालना की गई।

उक्त ग्राम सभा 50% से अधिक ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति में खनन परियोजना प्रस्ताव पर खुली चर्चा कर उक्त खनन परियोजना के प्रस्ताव को पारित किया गया।

प्रस्ताव सं-2 मैसर्स आर डी एस ए माइनिंग एल. एल. पी. पार्टनी सदन तैली मोहल्ला मदन गंज - किशनगढ़ जिला अजमेर के पक्ष में वन आरक्षित क्षेत्रों के निकट पीपलखूंट गांव दांता में आशय पत्र जारी किया गया है। (आरक्षित) वन भूमि का कुल क्षेत्रफल 74.2490 है. पर खनिज मार्बल के खनन (गैर वानिकी) हेतु प्रस्ताव पत्र पर चर्चा की गई जिसमें ग्राम दांता तहसील-पीपलखूंट जिला-प्रतापगढ़ के जो राजस्व ग्राम दांता है की भूमि खसरा संख्या 270, 271, 587/357, 588/361, 589/381, 402, 412, 413, 414, 415, 4[illegible], 420, 421, 424, 362, 376, 363, 364, 613/362, 614/364 व 615/376 में आने वाले कुल क्षेत्रफल - 74.2490 हैक्टेयर वन भूमि नं. 2925 में खनिज मार्बल खनन (गैर वानिकी) हेतु प्लॉट संख्या 01/2019 के सम्बन्ध में ग्राम सभा में खुली चर्चा कर वांछित क्षेत्र को खनन कार्य हेतु दिये जाने पर सर्व-

प्रेमशंकर निनामा
सरपंच
ग्राम पंचायत बोरी पी
पं. स. पीपलखूंट जि. प्रतापगढ़ (राज.)

प्रेमशंकर निनामा
सरपंच
ग्राम पंचायत बोरी पी
पं. स. पीपलखूंट जि. प्रतापगढ़ (राज.)

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
	6
सम्मति से सहमति व्यक्त की गई। अनारक्षण का सम्पूर्ण प्रस्ताव ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया गया। जिस पर उक्त खनन प्रोजेक्ट के इस क्षेत्र में स्वीकृति होने पर यहां कि विषम परिस्थिति में जीवन यापन कर रहे स्थानीय निवासियों/ नागरिकों के लिये आय के नये स्रोत होंगे। उक्त खनन योजना को स्थानीय भाषा में पढ़कर ग्राम सभा में उपस्थित सभी आम-जन को सुनाया गया। जिस पर वन क्षेत्र पर आश्रित परम्परागत वन वासियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई। उक्त परियोजना स्थाई प्रकृति की है अतः यहां के स्थानीय निवासियों / नागरिकों को रोजगार उपलब्ध होगा। जिससे इनके जीवन स्तर में सुधार होगा व ग्राम पंचायत को इस परियोजना के चलने से स्थाई आय होगी। अतः वन क्षेत्र प्रत्यावर्तन स्वीकृति हेतु सभी सदस्यों की सहमति दर्ज की गई है। उक्त ग्राम सभा में 50% से अधिक ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति में खनन परियोजना प्रस्ताव पर चर्चा कर उक्त खनन परियोजना के प्रस्ताव को पारित किया गया। वन अधिकार अधिनियम की अनुपालना के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन क्षेत्र की सीमा में आने वाले ग्राम के लिये व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है, इसमें अनुसूचित जन जाति और अन्य	[signature] प्रेमशंकर निनामा सरपंच ग्राम पंचायत बोरी पी ... प्रतापगढ़ (राज.) [signature] प्रेमशंकर निनामा सरपंच ग्राम पंचायत बोरी पं.स. पीपलखूंट जि. प्रतापगढ़

Scanned by CamScanner

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ 5	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर 6
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत व्यक्तिगत एवं अधिकारों के व्यवस्थापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।	
वन अधिकार अधिनियम की क्रियान्वयन के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त वन क्षेत्र भूमि राजस्व रिकार्ड एवं ग्राम पंचायत में उपलब्ध रिकार्ड की प्रति: जांच कर ली गई है। जिसके आधार पर उक्त खसरे में किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लंबित अथवा अनिर्णीत नहीं है।	
उक्त वन भूमि खनन परियोजना हेतु उपयोग में लिया जाता है, तो ग्राम वासियों एवं ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं होगी।	
यह निर्णय वन आरक्षित क्षेत्र के निकट पीपलखूंट गांव खाता की वन भूमि क्षेत्रफल 74.2490 हेक्टेयर ग्राम पंचायत बोरी (पी) हेतु सर्व आम जन को सूचित कर बुलाई गयी ग्राम सभा की बैठक में लिया गया और सभी के द्वारा हस्ताक्षर किये गये। जो कि सर्व सम्मति से बैठक रजिस्टर में दर्ज किये गये।	प्रेमशंकर निनामा सरपंच ग्राम पंचायत बोरी पी पं.स.पीपलखूंट जि.प्रतापगढ़ (राज.)
(प्रेमशंकर निनामा) सरपंच ग्राम पंचायत बोरी पी पं.स.पीपलखूंट,जि.प्रतापगढ़ (राज.)	
ग्राम विकास अधिकारी ... बोरी पी	

Scanned by CamScanner

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
5	6

साथ ही राजस्व ग्राम दातों, ग्राम पंचायत बोरी (पी) अन्तर्गत राज्य सरकार खनन विभाग के मंशा पत्र अनुसार RDSA mining LLP को डेनियल फक्टरी हेतु स्वीकृति योग्य वन भूमि रकबा 74.2490 है. मौस्थित आराजी खसरा 416, 420, 413, 414, 415, 421, 424, वन भूमि खसरो पर वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत दावेदार (1) श्री नारायण/ बिठ्ठी पुत्र हकरू (2) श्री रुगजी/ शारदा पुत्र ठकरू (3) धीरज मल/ काली पुत्र मंगाला एवं (4) सुरेश/ चम्पा पुत्र हकरू मीणा के पक्ष में अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत अधिकार पत्र जारी शुदा है। उक्त दावेदारों को ग्राम सभा के दौरान मजमे आम सुना गया जिसके दौरान समस्त दावेदारों द्वारा राष्ट्रीय योजना एवं क्षेत्र के विकास हेतु अपने अधिकार का बतौर विधिक मुआवजा/ प्रतिकर अथवा पुनः स्थापन/ पुनर्व्यवस्थापन आधार पर त्याग करने पर सहमति जाहिर की गई

उपरोक्त क्रम में उचित निर्णय हेतु प्रकरण उपखण्ड स्तरीय समिति को अग्रेषित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

प्रेमशंकर निनामा
सरपंच
ग्राम पंचायत बोरी पी
पं.स.पीपलखूँट जि.प्रतापगढ़ (राज.)

प्रेमशंकर निनामा
सरपंच
ग्राम पंचायत बोरी पी
पं.स.पीपलखूँट जि.प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार परिशिष्ट - 2

कार्यालय ग्राम-पंचायत बोरी पी

प. स. पीपलखुंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)

प्रेमशंकर निनामा
सरपंच

निवास
मु. पो. बोरी पी.
जि. प्रतापगढ़ (राज.)
मो. 9571075836

क्रमांक :-ग्रा.पं. बोरी–पी/35–37

दिनांक 25-4-22

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान पचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रो मे उनके लागू होने के सबंध में उपान्तरण) अधिनियम 1999 के तहत राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 11(1) (iii) कि अनुपालना मे मैसर्स. आर डी एस ए माईनिग एल एल पी, पाटनी सदन, तेली मोहल्ला, मदनगंज–किशनगढ जिला अजमेर को ग्राम पंचायत बोरी पी के राजस्व ग्राम दाता के प्लॉट संख्या– 01/2019 में क्षेत्रफल 74.2490 हैक्टेयर किस्म वन भूमि मे खनन किये जाने हेतु जारी किया गया है।

खान विभाग द्वारा मैसर्स. आर डी एस ए, माईनिग एल एल पी, पाटनी सदन, तेली मोहल्ला, मदनगंज–किशनगढ जिला अजमेर को खनन पटटा स्वीकृत किया जाता है तो ग्राम पंचायत बोरी–पी को किसी प्रकार की आपति नही होगी।

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रो मे उनके लागू होने के सबंध में उपान्तरण) अधिनियम 1999 के नियम 3 (1) के तहत ग्राम सभा दिनांक 22.04.2022 प्रस्ताव संख्या–2 के तहत जारी किया जा रहा है।

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते समय राजस्थान पचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रो मे उनके लागू होने के सबंध में उपान्तरण) अधिनियम 1999 के सभी नियमों का पालन किया गया है।

सधन्यवाद

(प्रेमशंकर निनामा)
सरपंच
सरपंच
ग्राम पंचायत बोरी पी
प.स.पीपलखूँट,जि.प्रतापगढ़(राज.)

प्रमाणित
विकास अधिकारी
पंचायत समिति पीपलखूँट
जिला प्रतापगढ़ (राज.)

(बालकृष्ण ...)
ग्राम विकास अधिकारी

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार परिशिष्ट-3

कार्यालय ग्राम पंचायत बोरी पी

प. स. पीपलखुंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)

प्रेमशंकर निनामा
सरपंच

-: निवास
मु. पो. बोरी पी.
जि. प्रतापगढ़ (राज.)
मो. 9571075836

क्रमांक ग्रा.पं.बोरीपी/38 दिनांक 26-4-22

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

दिनांक 22.04.2022 को ग्राम पंचायत बोरी (पी),तहसील पीपलखूंट,जिला–प्रतापगढ़ ग्राम सभा की बैंठक आयोजित की गयी । बैंठक में **RDSA MINING LLP** पाटनी सदन तेली मोहल्ला मदनगंज–किशनगढ़,जिला अजमेर, के पक्ष में वन (संरक्षण) अधिनियम् 1980 के तहत् वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर विचार किया गया । **RDSA MINING LLP** के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.05.2021 को LOI जारी कर दी गयी है । कुल 74.2490 हैक्टेयर वन भूमि के खसरा संख्या –270,271,347,587/357,588/361,589/381,402,412,413,414,415,416,420,421,424,362,376,363,364,613/362,614/364,615/376 पर वनाधिकार अधिनियम् 2006 के नियम् 2008 की धारा 3 (1) तथा धारा 3 (2) के तहत् व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावे लम्बित या प्रकियाधीन/विचाराधीन नहीं हैं ।

ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति को ग्राम पंचायत क्षैत्र की प्रस्तावित वन भूमि में खन्न पट्टें को स्वीकृत किये जाने से कोई आपत्ति नहीं हैं । इस सम्बन्ध में ग्राम पचायत एवं ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा निर्णय लिया गया, कि वन भूमि का खनन् परियोजना हेतु उपयोग किया जाता हैं, तो ग्रामवासियों एवं ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं हैं ।

(बालकृष्ण गर्ग)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बोरीपी
पं.स.पीपलखूंट,जि. प्रतापगढ़ (राज.)

प्रेमशंकर निनामा
सरपंच
ग्राम पंचायत बोरी पी
पं.स.पीपलखूंट जि.प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned by CamScanner

(A)

परिशिष्ट-4

(A to B)

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पीपलखूँट जिला प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांकः–राजस्व / 2022 / 387

प्रेषिति,

दिनांकः– 5.08.2022

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,
प्रतापगढ़ (राज.)

विषयः– ग्राम केला मेला एवं दांता पं.स. पीपलखूँट अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमियों पर मार्बल खनन स्वीकृति मंशा पत्र अनुसार वन भूमियों के उपयोग–उपभोग हेतु प्रत्यावर्तन / विपथन के संबंध में।

सन्दर्भ –आपका पत्रांक राजस्व / FRA–2006 / विपथन / 2022–23 / 2142–44 दिनांक 16.05.2022

महोदयजी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि दिनांक 27.07.2022 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक–2142–44 दिनांक 16.05.2022 संदर्भ बाबत्–ग्राम केलामेला एवं दांता ग्राम ग्रा.पं. बोरी पी प.स.पीपलखूँट के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमियों पर मार्बल खनन स्वीकृति मन्शा पत्र अनुसार वन भूमियों के उपयोग / उपभोग हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 319 दिनांक 25.07.2022 की अनुपालना में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक का आयोजन उपखण्ड अधिकारी पीपलखूँट की अध्यक्षता में उपस्थित सदस्यों के साथ किया गया। तत्पश्चात बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही की गई–

1. राज्य सरकार द्वारा पं.स. क्षेत्र पीपलखूँट के अन्तर्गत RDSA MINING LLP के पक्ष में जारी मंशा पत्र अनुसार राजस्व ग्राम केला मेला ग्रा.पं. केलामेला में 10.4162 हैक्टेयर वास्ते खनिज मार्बल हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन / विपथन हेतु पाया गया कि उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर पूर्व में वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत किसी को भी अधिकार पत्र (पट्टा) जारी नहीं किया गया है एवं साथ ही उक्त प्रस्तावित वन भूमि में वर्तमान में वन भूमि पर इसके चारों ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम् 2006 के अन्तर्गत लम्बित अथवा अनिर्णित नहीं है। साथ ही सम्पूर्ण आवेदित वन क्षेत्र 10.4162 हैक्टेयर में किसी का रहवास नहीं है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम् 2006 की धारा 3 (1) (e) के अनुसार आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है। शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, की धारा 3 (2) की आवश्यकतानुसार पूरी की जा चुकी है तथा प्रभावित ग्राम सभा की इसमें सहमति है। उक्त वन भूमि में आने वाले खसरा नं., खसरों का कुल क्षेत्रफल मंशा पत्र में पडने वाला क्षेत्रफल निम्नानुसार है–

क्र.स.	खसरा नंबर	भूमि की किस्म	खसरे का कुल रकबा (है.)	LOI क्षेत्र में आने वाला कुल रकबा (है.)
1	1970	वन भूमि	15.50	8.0090
2	1988	वन भूमि	14.75	2.4072
	कुल क्षेत्रफल		30.25	10.4162

2. राज्य सरकार द्वारा पं.स. क्षेत्र पीपलखूँट के अन्तर्गत RDSA MINING LLP के पक्ष मे जारी मन्शा पत्र दिनांक 12.05.2021 के अनुसार राजस्व ग्राम दाता पं.स. बोरी पी मे 74.2490 है. वास्ते खनिज मार्बल हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन / विपथन हेतु पाया गया कि उक्त वन भूमि के प्रत्यावर्तन / विपथन हेतु पाया गया कि उक्त वन भूमि मे वनाधिकार अधिनियम 2006, के तहत पूर्व में चार वनाधिकार पत्र (पट्टा) जारी किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है–

क्र.स	नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल(है.)
1	नारायण / विठली हकरू	416	0.22
		420	0.22
		योग	0.44
2	रंगजी / शारदा हकरू	413	0.71
		414	0.20
		415	0.22
		योग	1.13
3	धीरजमल / काली मंगला	424	0.53

सत्य प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी कोपिंग
कलेक्टर प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned by CamScanner

4	सुरेश / चम्पा हकरू	421	0.60
	कुल योग		2.70

उक्त चारो वनाधिकार पत्र धारको (पट्टा धारको) द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में खनन गतिविधियों हेतु स्वविवेक से यथायोग्य मुआवजा / प्रतिकर राशि फर्म RDSA MINING LLP से प्राप्त कर अपने–अपने अधिकार पत्र (पटटा) उक्त फर्म के पक्ष मे समर्पित कर दिये है। समर्पण की पुष्टी में अधिकार पत्रों एवं वनाधिकार समर्पण पत्रो की छाया प्रतिया संलग्न की गई है। उक्त प्रस्तावित वन भूमि मे वर्तमान में वन भूमि पर इसके चारों ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति और परपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, के अन्तर्गत लम्बित अथवा अनिर्णित नहीं है। साथ ही सम्पूर्ण आवेदित वन क्षेत्र 74.2490 है. मे किसी का रहवास नहीं है। अनूसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, की धारा 3 (1) (e) के अनुसार आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायो के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है। शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही अनूसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, की धारा 3 (2) की आवश्यकतानुसार पूरी की जा चुकी है तथा प्रभावित ग्राम सभा की इसमें सहमति है।

उपरोक्त वर्णित चारो वनाधिकारो (पटटा धारको) के अतिरिक्त उक्त प्रस्तावित वन भूमि 74.2490 हे. पर अन्य कोई वनाधिकार पत्र (पटटा) जारी नहीं किया गया है न ही कोई आवेदन लम्बित तथा अनिर्णित है उक्त वन भूमि मे आने वाले खसरा नं खसरे का कुल क्षेत्रफल, नक्शा पत्र मे पडने वाला क्षेत्रफल निम्नानुसार है–

क्र.स	खसरा नंबर	भूमि की किस्म	खसरे का कुल रकबा (है.)	LOI क्षेत्र में आने वाला कुल रकबा (हे.)
1	270	वन भूमि	1.3100	0.9800
2	271	वन भूमि	0.0900	0.0450
3	347	वन भूमि	0.5000	0.3312
4	587 / 357	वन भूमि	0.9600	0.9600
5	588 / 361	वन भूमि	0.2500	0.2500
6	589 / 381	वन भूमि	0.3300	0.3300
7	402	वन भूमि	0.6800	0.6800
8	412	वन भूमि	2.2300	2.2300
9	413	वन भूमि	0.7100	0.7100
10	414	वन भूमि	0.2000	0.2000
11	415	वन भूमि	0.2200	0.2200
12	416	वन भूमि	0.2200	0.2200
13	420	वन भूमि	0.2200	0.2200
14	421	वन भूमि	0.6000	0.6000
15	424	वन भूमि	0.5300	0.5300
16	362	वन भूमि	5.9500	5.9500
17	376	वन भूमि	25.7500	0.1114
18	363	वन भूमि	0.9500	0.9500
19	364	वन भूमि	9.2500	3.1861
20	613 / 362	वन भूमि	23.0000	20.4994
21	614 / 364	वन भूमि	6.5000	6.5000
22	615 / 376	वन भूमि	33.0000	25.5459
कुल	22		113.4500	74.2490

अतः आवेदक संस्था RDSA MINING LLP के पक्ष में जिला स्तरीय नोन लिनियर प्रमाण पत्र जारी करने के अनुमोदन हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार

सत्य प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी कोपिंग
कलेक्टट प्रतापगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पीपलखूँट (राज.)

Scanned by CamScanner

(A)

परिशिष्ट–5

(A To E)

राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ (राज.)

E-mail :– dm-pra-rj@nic.in

Fax No. 01478–222262

क्रमांक : राजस्व/FRA–2006/DLC/2022/2533

दिनांक :–17.08.2022

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति बैठक कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 नियम 2008–2012 के अन्तर्गत दिनांक 16.08.2022 को जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान निम्नांकितानुसार अधिकारी पदाधिकारी मनोनित सदयगण उपस्थित रहें।

क्र.सं.	नाम अधिकारी/सदस्य	पद	विभाग	पदनाम
01	श्री सौरभ स्वामी	जिला कलक्टर	राजस्व/प्रशासन	अध्यक्ष
02	श्री सुनील कुमार	उप वन संरक्षक	वन विभाग	सदस्य
03	श्री जितेन्द्र मीणा	उपायुक्त	TAD	सदस्य सचिव
04	श्री पिकेंश पटवा	जिला परिषद सदस्य	पंचायतीराज	मनोनीत सदस्य
05	श्रीमती अनिता मीणा	जिला परिषद सदस्य	पंचायतीराज	मनोनीत सदस्य
06	श्रीमती चम्पा देवी	जिला परिषद सदस्य	पंचायतीराज	मनोनीत सदस्य

बैठक के दौरान कार्यालय से जारी सूचना पत्र क्रमांक :– राजस्व/FRA–2006/2022/2508–21 दिनांक 08.08.2022 में विहित निम्नांकिंत अनुसार एजेण्डा विन्दुओं पर चर्चा की गई।

1. **वनाधिकार के तहत् अस्वीकृत फाईलों की KML के संबंध में** :– इस संबंध में उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में ऑफ लाईन प्रक्रिया से प्राप्त कुल 15735 व्यक्तिगत दावों में से 8749 स्वीकृत दावों के उपरान्त अस्वीकृत श्रेणी के 6986 वनाधिकार दावों में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के पास उपलब्ध रिकार्ड अनुसार KML योग्य 1322 अस्वीकृत दावों की KML File तैयार कर FSI को प्रेषित की जा चुकी है तथा 3107 अस्वीकृत दावों में आवेदित भूमि का उल्लेख नहीं पाये जाने से KML योग्य नहीं है तथा शेष 2557 अस्वीकृत वनाधिकार पत्रावलीयों के ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों एवं उपखण्ड़ स्तरीय वनाधिकार समितियों स्तर से वर्ष 2009–10 के दौरान रिकार्ड संधारण के अभाव से उक्त पत्रावलियों का संख्यात्मक आंकड़ा मात्र जिला स्तरीय समिति के पास है।

   किन्तु निरस्त/अस्वीकृत पत्रावलियां रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त निरस्त दावों की KML कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है इस संबंध में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की विगत बैठक दिनांक 28.04.2022 के दौरान भी माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित विडियो क्रांफेसिंग तथा अन्य बैठकों के दौरान आयुक्त महोदय TAD द्वारा प्रदत निर्देशों के अनुसार उक्त 2557 मिसिंग दावों का वर्तमान संचालित अभियान में पुनः आवेदन किये जा चुके होगें जिनका निस्तारण भी हो चुका होगा ऐसी स्थिति में उक्त 2557 पूर्व के दावों की संख्या अस्वीकृत 6986 दावों में से कम कर दिये जाने हेतु भी निर्णय लिया गया था किन्तु आदिनांक तक उक्त दावाकृत संख्यात्मक आंकड़ा TAD विभाग के रिकार्ड पर यथावत् होने से बार बार 2557 दावों के KML की मांग की जा रही है।

   इस संबंध में विगत बैठक दिनांक 28.04.2022 को लिए गए निर्णय अनुसार पुनः प्रमुख शासन सचिव महोदय TAD एवं आयुक्त महोदय TAD उदयपुर को अवगत कराये जाने बाबत् लिखा जाने का निर्णय भी बैठक के दौरान लिया गया।

सत्य प्रतिलिपि
(Mahesh)
प्रभारी अधिकारी कॉपिंग
कलक्ट्रेट प्रतापगढ़ (राज.)

616

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned by CamScanner

(18)

2. वनाधिकार अभियान प्रगति समीक्षा :– बैठक के दौरान जिले में ऑन लाईन प्रक्रिया से वर्तमान तक प्राप्त कुल व्यक्तिगत दावों 16320 में से 14071 दावे अस्वीकृत किये जा चुके है एवं 799 दावों के जिला स्तरीय समिति स्तर से सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है तथा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति अरनोद से वर्तमान में प्राप्त 83 दावों में से 80 दावों के स्वीकृत योग्य पाये जाने तथा 03 दावे निरस्त योग्य पाये गए है जिनका यथाशीघ्र सत्यापन किया जाना अपेक्षित बताया गया। इस प्रकार DLC स्तर पर वर्तमान तक 882 दावे स्वीकृत हेतु प्राप्त हुए है तथा अवशेष 1185 दावें ग्राम स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों के समक्ष विचाराधीन है जिनके यथाशीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये गए। इसी प्रकार अभियान अवधी के दौरान सामुदायिक अधिकार से संबंधित प्राप्त कुल 282 दावों में से 217 दावे निरस्त हो चुके है तथा 65 दावे वर्तमान तक ग्राम स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों के समक्ष विचाराधीन है जिनके यथाशीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये गए।

3. **RDSA Mining LLP को तहसील क्षेत्र पीपलखुंट के राजस्व ग्राम केलामेला में 10.4162 हैक्टर तथा राजस्व ग्राम दांता में 74.2490 हैक्टर वन भूमि प्रत्यार्वन एवं विपथन हेतु नॉन लिनियर प्रमाण पत्र जारी किये जाने तथा वन भूमि के बदले गैर वन भूमियों की प्रत्यावर्तन कार्यवाही** :– इस संबंध में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति पीपलखुंट के पत्र क्रमांक :– राजस्व/2022/387 दिनांक 05.08.2022 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 27.07.2022 के दौरान राज्य सरकार खान (ग्रुप–2) विभाग जयपुर द्वारा जारी मंशा पत्र क्रमांक :– प.10(6) खान/ग्रुप–2/2019 जयपुर दिनांक 12.05.2021 अनुसार राजस्व ग्राम केलामेला अन्तर्गत राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के अन्तर्गत जरिये प्लॉट संख्या 02/2019 क्षेत्र 10.4162 हैक्टर वन भूमि वास्ते खनिज मार्बल हेतु RDSA Mining LLP के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृति हेतु LOI जारी की गई।

उक्त क्रम में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार राजस्व ग्राम आराजी संख्या 1970 रकबा 15.50 हैक्टर में से 8.0090 हैक्टर तथा आराजी संख्या 1988 रकबा 14.75 हैक्टर में से 2.4072 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 10.4162 हैक्टर वन भूमियों के संबंध में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति केलामेला द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 17.05.2022 के अनुसार उक्त भूमियों पर किन्हीं भी दावेदारों का वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 की धारा 3 (1) अथवा धारा 3 (2) के तहत् कोई दावा लम्बित नहीं है और उक्त भूमियों पर किसी भी वनवासी के पक्ष में कोई वनाधिकार अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है तथा उक्त भूमियों पर कोई वनवासी निवासरत् नहीं होने के आधार पर प्रेषित प्रस्ताव अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति पीपलखुंट द्वारा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति केलामेला की सिफारिशों को स्वीकृत करते हुए जिला स्तरीय समिति के समक्ष वास्ते अनुमोदन प्रस्तुत किया गया है।

इसी प्रकार राज्य सरकार खान (ग्रुप–2) विभाग जयपुर के मंशा पत्र क्रमांक :– प.10(6) खान/ग्रुप–2/2019 जयपुर दिनांक 12.05.2021 के द्वारा जारी मंशा पत्र अनुसार राजस्व ग्राम दांता अन्तर्गत राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के अन्तर्गत जरिये प्लॉट संख्या 01/2019 क्षेत्र 74.2490 हैक्टर वन भूमि वास्ते खनिज मार्बल हेतु RDSA Mining LLP के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृति हेतु LOI जारी की गई उक्त क्रम में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार राजस्व ग्राम दांता की आराजी संख्या 270 रकबा 1.3100 हैक्टर में से 0.9800 हैक्टर एवं आराजी संख्या 271 रकबा 0.0900 हैक्टर में से 0.0450 हैक्टर एवं आराजी संख्या 347 रकबा 0.5000 हैक्टर में से 0.3312 हैक्टर तथा आराजी संख्या 587/357 रकबा 0.9600 हैक्टर एवं आराजी संख्या 588/361 रकबा 0.2500 हैक्टर तथा आराजी संख्या 589/381 रकबा 0.3300 हैक्टर एवं आराजी संख्या 402 रकबा 0.6800 हैक्टर एवं आराजी संख्या 412 रकबा 2.2300 हैक्टर तथा आराजी संख्या 413 रकबा 0.7100 हैक्टर एवं आराजी संख्या 414 रकबा 0.2000 हैक्टर एवं आराजी संख्या 415 रकबा 0.2200 हैक्टर तथा आराजी संख्या 416 रकबा 0.2200 हैक्टर एवं आराजी संख्या 420 रकबा 0.2200 हैक्टर एवं आराजी संख्या 421 रकबा 0.6000 हैक्टर तथा आराजी संख्या 424 रकबा 0.5300 हैक्टर एवं आराजी संख्या 362 रकबा 5.9500 हैक्टर तथा आराजी संख्या 376 रकबा 25.7500 हैक्टर में से 0.1114 हैक्टर एवं आराजी संख्या 363 रकबा 0.9500 हैक्टर एवं आराजी संख्या 364 रकबा 9.2500 हैक्टर में से 3.1861 हैक्टर तथा आराजी संख्या 613/362 रकबा 23.0000 हैक्टर में से 20.4994 हैक्टर एवं आराजी संख्या 614/364 रकबा 6.5000 हैक्टर तथा आराजी संख्या 615/376 रकबा 33.0000 हैक्टर में से 28.5459 हैक्टर कुल किता 22 रकबा 74.2490 हैक्टर वन भूमियों के संबंध में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति दांता ग्राम पंचायत बोरी –पी द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 22.04.2022 के

सत्य प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी कॉपिंग
कलेक्टेट प्रतापगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned by CamScanner

अनुसार उक्त भूमियों पर किन्हीं भी दावेदारों का वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 की धारा 3 (1) अथवा धारा 3 (2) के तहत् कोई दावा लम्बित नहीं है, परन्तु राजस्व ग्राम दांता की वन भूमि आराजी संख्या 416 एवं 420 रकबा 0.44 हैक्टर भूमि का श्री नारायण/विठली हकरू को वनाधिकार पत्र मिला हुआ है तथा आराजी संख्या 413, 414, 415 रकबा 1.13 हैक्टर भूमि हेतु श्री रंगजी/शारदा हकरू के पक्ष में वनाधिकार पत्र जारीशुदा है तथा आराजी संख्या 424 रकबा 0.53 हैक्टर भूमि पर श्री धीरजमल/काली मंगला के पक्ष में वनाधिकार पत्र स्वीकृत किया हुआ है। इसी प्रकार ग्राम की आराजी संख्या 421 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि पर श्री सुरेश/चम्पा हकरू के पक्ष में जारीशुदा है। उक्त पट्टा धारकों द्वारा अपने अधिकार पत्र जरिये 500/- रूपये तादाती पृथक-पृथक स्टांप पत्रों के राजकीय पक्ष में उक्त अधिकार पत्रों का समर्पण शपथ पत्रों से कर दिया गया है। जिन्हें स्वीकार किये जाने की सिफारिश के साथ उक्त भूमियों पर किसी भी वनवासी के पक्ष में अन्य कोई वनाधिकार अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है तथा उक्त भूमियों पर कोई वनवासी निवासरत् नहीं होने के आधार पर प्रेषित प्रस्ताव अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति पीपलखुंट द्वारा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति दांता की सिफारिसों को स्वीकृत करते हुए जिला स्तरीय समिति के समक्ष वास्ते अनुमोदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में समर्पित 04 वनाधिकार पत्रों को विलोपित किये जाने के संबंध में आयुक्त महोदय जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग उदयपुर को स्पष्ट प्रतिवेदन भिजवाया जाकर उक्त दावों के समस्त स्तरों (SLC एवं MoTA तथा MoEF) से विलोपन कराने हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार वन भूमियों के विपथन के फलस्वरूप कमी वन भूमि रकबा की क्षतिपूर्ति हेतु जिला स्तर पर गठीत फोरेस्ट लैण्ड बैंक से गैर-वन भूमियों का प्रत्यावर्तन भी निम्न प्रकार से कर दिया गया है।

क्र. सं.	विपथन हेतु प्रस्तावित वन भूमियों का विवरण				वन भूमियों की क्षतिपूर्ति हेतु प्रत्यावर्तित गैर वन भूमियों का विवरण				प्रत्यावर्तन आदेश विवरण
	तहसील क्षेत्र	ग्राम वन भूमि	खसरा संख्या	विपथित रकबा है. में	तहसील क्षेत्र	ग्राम गैर वन भूमि	खसरा संख्या	प्रत्यावर्तित रकबा हैं. में	
01	पीपलखुंट	केलामेला	1970	8.0090	घरियावद	सेवानगर	68/4	10.50	जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक :- राजस्व/भू. आ/2022-23/2207-13 दिनांक 31.05.2022
02	पीपलखुंट	केलामेला	1988	2.4072					
	किता 2			10.4162	किता 01			10.50	
01	पीपलखुंट	दांता	270	0.9800	घरियावद	पहाड़ा			जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक :- राजस्व/ भू. आ/2022-23/2535-45 दिनांक 17.08.2022
02	पीपलखुंट	दांता	271	0.0450			964	4.2092	
03	पीपलखुंट	दांता	347	0.3312			964/1	5.4435	
04	पीपलखुंट	दांता	587/357	0.9600			1457	5.9120	
05	पीपलखुंट	दांता	588/361	0.2500			1457/10	9.9846	
06	पीपलखुंट	दांता	589/381	0.3300			2070	19.9507	
07	पीपलखुंट	दांता	402	0.6800		मियाला	10	13.50	
08	पीपलखुंट	दांता	412	2.2300	प्रतापगढ	आमलीखेरा			
09	पीपलखुंट	दांता	413	0.7100					
10	पीपलखुंट	दांता	414	0.2000					
11	पीपलखुंट	दांता	415	0.2200					
12	पीपलखुंट	दांता	416	0.2200					
13	पीपलखुंट	दांता	420	0.2200					
14	पीपलखुंट	दांता	421	0.6000			429	0.39	
15	पीपलखुंट	दांता	424	0.5300			88	8.51	
16	पीपलखुंट	दांता	362	5.9500			89	7.10	
17	पीपलखुंट	दाता	376	0.1114					
18	पीपलखुंट	दांता	363	0.9500					
19	पीपलखुंट	दांता	364	3.1861					
20	पीपलखुंट	दांता	613/362	20.4994					
21	पीपलखुंट	दांता	614/634	6.5000					
22	पीपलखुंट	दांता	615/376	25.5459					
	किता 22			74.2490	किता 9			75	

सत्य प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी कोपिंग
कलक्टर प्रतापगढ (राज

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

Scanned by CamScanner

(19)

उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियों अन्तर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 एवं PESA Act 1996 नियम 2011 तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में विहित प्रावधानों की अनुपालना प्रकरण में की जाने उपरान्त प्रस्तावित माईनिंग प्रकरणों को अनुमादित किया जाकर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा नॉन लिनियर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी किये जावे।

4. **ग्रामीण सड़क सुहागपुरा से अचलावदा T–11 0/0 KM जव 8/0 KM के मध्य आने वाले वन भूमि रकबा 4.62 हैक्टर के विपथन हेतु लिनियर प्रमाण पत्र तथा प्रत्यावर्तन कार्यवाही :–** इस संबंध में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति पीपलखुंट के पत्र क्रमांक :– राजस्व/2022/271 दिनांक 05.07.2022 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 05.07.2022 के दौरान अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय प्रतापगढ़ (मुख्यालय अरनोद) के पत्र क्रनांक :– 2022–23/46 दिनांक 18.04.2022 के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार Construction of Upgradation Rural road From T-11 Suhagpura to Achlawada Upto Block Border Road KM 0/0 to 8 /0 KM के मध्य आने वाली वन भूमियों क्रमशः : राजस्व ग्राम पठार, कुणी, सुजानपुरा, पनावला, डांगपुरा अन्तर्गत 4.62 हैक्टर वन भूमि वास्ते वन भूमियों के संबंध में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति मोटीखेडी/सुहागपुरा द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 20.05.2022 के अनुसार उक्त भूमियों पर किन्हीं भी दावेदारों का वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 की धारा 3 (1) अथवा धारा 3 (2) के तहत् कोई दावा लम्बित नहीं है और उक्त भूमियों पर किसी भी वनवासी के पक्ष में कोई वनाधिकार अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है तथा उक्त भूमियों पर कोई वनवासी निवासरत् नहीं होने के आधार पर प्रेषित प्रस्ताव अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति पीपलखुंट द्वारा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति मोटीखेड़ी/सुहागपुरा की सिफारिसों को स्वीकृत करते हुए जिला स्तरीय समिति के समक्ष वास्ते अनुमोदन प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त क्रम में वन भूमियों के विपथन फल स्वरूप कमी वन भूमि रकबा 4.62 की क्षतिपूर्ति हेतु जिला स्तर पर गठीत फोरेस्ट लैण्ड बैंक से गैर–वन भूमियों का प्रत्यावर्तन भी निम्न प्रकार से कर दिया गया है।

क्र. सं.	विपथन हेतु प्रस्तावित वन भूमियों का विवरण				वन भूमियों की क्षतिपूर्ति हेतु प्रत्यावर्तित गैर वन भूमियों का विवरण				प्रत्यावर्तन आदेश विवरण
	तहसील क्षेत्र	ग्राम वन भूमि	खसरा संख्या	विपथित रकबा है. में	तहसील क्षेत्र	ग्राम गैर वन भूमि	खसरा संख्या	प्रत्यावर्तित रकबा हैं. में	
01	सुहागपुरा	पठार	0[illegible]	0.6600	छोटीसादड़ी	राजपुरा	21	5.00	जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक :– राजस्व/ भू आ/2022–23/ 2546–51 दिनांक 17.08.2022
02			274						
03			275						
04			276						
05			293						
06			295						
07		कुणी	207	1.0200					
08			192						
09			191						
10			154						
11			8						
12		सुजानपुरा	03	1.4300					
13			01						
14			314						
15			315						
16			366						
17		पनावला	120	0.8600					
18			335						
19			365						
20			333						
21			121						
22			122						
23			119						
24		डांगपुर	375	0.6500					
	किता 24			4.6200	किता 01			5.00	

उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियों वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 एवं PESA Act 1996 नियम 2011 तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में विहित प्रावधानों की अनुपालना प्रकरण में

सत्य प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी कोपिंग
कलक्टर प्रतापगढ़ (राज.

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned by CamScanner

(E)

की जाने उपरान्त प्रस्तावित माईनिंग प्रकरणों को अनुमोदित किया जाकर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा लिनियर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी किये जावे।

बैठक सहर्ष समाप्त की गई।

(जितेन्द्र मीणा) R.Ac.S उपायुक्त TAd प्रतापगढ़ सदस्य सचिव जिला स्तरीय वनाधिकार	(सुनील कुमार) IFS उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ सदस्य जिला स्तरीय वनाधिकार	(सौरभ स्वामी) I.A.S जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, प्रतापगढ़

प्रतिलिपी :– वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. प्रमुख शासन सचिव महोदय जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग जयपुर (राज.)
2. आयुक्त महोदय जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग उदयपुर (राज.)
3. उप वन संरक्षक प्रतापगढ़
4. उपायुक्त जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग उदयपुर (राज.)
5. उपखण्ड़ अधिकारी प्रतापगढ़ / अरनोद / धरियावद / छोटीसादड़ी / पीपलखुंट
6. तहसीलदार प्रतापगढ़ / अरनोद / धरियावद / छोटीसादड़ी / पीपलखुंट / दलोट / सुहागपुरा
7. विकास अधिकारी प्रतापगढ़ / अरनोद / धरियावद / छोटीसादड़ी / पीपलखुंट / दलोट / सुहागपुरा / धमोत्तर
8. क्षेत्रिय वन अधिकारी प्रतापगढ़ / देवगढ़ / धरियावद / छोटीसादड़ी / पीपलखुंट
9. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड–II मुख्यालय अरनोद जिला प्रतापगढ़
10. ग्राम पंचायत केलामेला / बोरी–पी / चांदौली / सुहागपुरा / सेवानगर
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर. डी. एस. ए. माईनिंग एल.एल.पी उदयपुर
12. गार्ड फाईल

सत्य प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी कोपिंग
कलक्टेट प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट–6 (A+OB)

राजस्थान –सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर प्रतापगढ (राज.)

E-mail :– dm-pra-rj@nic.in

Fax No- 01478-222262

क्रमांक : राजस्व/भू.आ./2022–23/2535-45

दिनांक :– 17.08.2022

–:: आदेश :: –

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर. डी. एस. ए. माईनिंग एल.एल.पी उदयपुर के पत्र क्रमांक :– RDSA/Mines/21-22/03 दिनांक 12.07.2021 के अनुसार राजस्थान सरकार खान (ग्रुप–2) विभाग के पत्र क्रमांक :– प.10(6)खान/ग्रुप–2/2019 जयपुर दिनांक 12.05.2021 के द्वारा मैसर्स RDSA MINING LLP, पाटनी सदन, तेली मोहल्ला मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर के पक्ष में निर्देशक, खान एवं भू–विभान विभाग, उदयपुर के पत्र समसंख्यक पत्र क्रमांक :– निदे/प.2/प्रताप/डेलि/प्लॉट सं. 01/2019/2020/564 दिनांक 10.12.2020 एवं 376 दिनांक 31.03.2021 से तहसील क्षेत्र पीपलखुंट के निकटतम ग्राम दांता तहसील पीपलखुंट अन्तर्गत 74.2490 हैक्टर वन भूमि अन्तर्गत डेलिनियेट प्लॉट हेतु LOI जारी करने की मंशा रखती है।

उपर्युक्त वन भूमियों के बदले गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन/विपथन हेतु आवेदक संस्था द्वारा कार्यालय हाजा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध कार्यालय के पत्र क्रमांक :– राजस्व/भू.आ./2021–22/899–910 दिनांक 13.07.2021 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक :– 1620–31 दिनांक 29.09.2021 तथा पत्र क्रमांक :– 1671–81 दिनांक 14.10.2021 के द्वारा समस्त उपखण्ड़ अधिकारी एवं तहसीलदार प्रतापगढ़ को लिखा जाने पर उपखण्ड़ अधिकारी धरियावद के पत्र क्रमांक :– राजस्व/2021–22/6074 दिनांक 06.12.2021 तथा समसंख्यक पत्र क्रमांक :– राजस्व/2021–22/09 दिनांक 07.01.2022 के क्रम में तहसीलदार धरियावद के पत्र क्रमांक :– राजस्व/2022/766–68 दिनांक 04.08.2022 के द्वारा प्रस्तावित अनुसार परियोजना क्षेत्र के काम आने वाली वन भूमि रकबा 74.2490 हैक्टर के बदले निम्नांकित अनुसार गैर वन भूमियों के विपथन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे।

क्र.सं.	तहसील क्षेत्र	प्रस्तावित भूमियों का विवरण				
		राजस्व ग्राम	आराजी संख्या	कुल रकबा हैक्टर में	किस्म भूमि	प्रस्तावित रकबा हैक्टर में
01	धरियावद	पहाड़ा	964	13.6290	बिलानाम पहाड़	4.2092
02	धरियावद	पहाड़ा	964/1	6.4800	बिलानाम पहाड़	5.4435
03	धरियावद	पहाड़ा	1457	20.1852	बिलानाम पहाड़	5.9120
04	धरियावद	पहाड़ा	1457/10	17.2800	बिलानाम पहाड़	9.9846
05	धरियावद	पहाड़ा	2070	38.8800	बिलानाम पहाड़	19.9507
06	धरियावद	मियाला	10	21.6756	बिलानाम मगरी	13.50
07	प्रतापगढ़	आमलीखोरा	429/83	0.62	बंजड़	0.39
08	प्रतापगढ़	आमलीखोरा	88	14.27	मगरी	8.51
09	प्रतापगढ़	आमलीखोरा	89	11.32	मगरी	7.10
		कुल किता	09		रकबा	75

उक्त क्रम में कार्यालय के पत्र क्रमांक :– राजस्व/वन भूमि/प्रत्यार्वत/2021–22/34–34 दिनांक 12.01.2022 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक :– 2117 दिनांक 28.04.2022 तथा पत्र क्रमांक :– राजस्व/भू.अ./2022–23/2500 दिनांक 03.08.2022 के द्वारा उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ को लिखा जाने पर उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ के पत्र क्रमांक :–एफ./तक./उवसं./2021–22/4898 दिनांक 05.08.2022 के द्वारा वन भूमि के बदले प्रस्तावित गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम आवंटित/अन्तरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान सरकार खान (ग्रुप–2) विभाग के पत्र क्रमांक :– प.10(6)खान/ग्रुप–2/2019 जयपुर दिनांक 12.05.2021 के द्वारा मैसर्स RDSA MINING LLP, पाटनी सदन, तेली मोहल्ला मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर के पक्ष में निर्देशक, खान एवं भू–विभान विभाग, उदयपुर के पत्र समसंख्यक पत्र क्रमांक :– निदे/प.2/प्रताप/डेलि/प्लॉट सं. 01/2019/2020/564 दिनांक 10.12.2020 एवं 376 दिनांक 31.03.2021 से तहसील क्षेत्र पीपलखुंट के निकटतम ग्राम दांता तहसील पीपलखुंट अन्तर्गत 74.2490 हैक्टर वन भूमि अन्तर्गत डेलिनियेट प्लॉट हेतु LOI जारी करने की मंशा पत्र में वर्णित वन भूमि रकबा की क्षतिपूर्ति हेतु उपरोक्त तालिका में वर्णितानुसार 75 हैक्टर भूमियों को विभागीय परिपत्र दिनांक 08.04.2022 के अनुक्रम में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत Set Apart की जाकर उक्त भूमि रकबा Forest Land Bank में समायोजित करते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत वन विभाग को वृक्षारोपण एवं वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तित/विपथित/आवंटित की जाती है।

सत्य प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी कोपिंग
कलेक्टेट प्रतापगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर

E:\Revenue section\Adesh.doc

- 687 -

Scanned by CamScanner

(B)

तहसीलदार धरियावद/प्रतापगढ़ आरक्षित/आवंटित भूमि का भौतिक रूप से कब्जा क्षेत्रीय वन अधिकारी, रैंज धरियावद/प्रतापगढ़ को सुपुर्द कर राजस्व अभिलेख में दर्ज करें व नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आवंटित/आरक्षित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जा सकेगा।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

जिला कलक्टर प्रतापगढ़

क्रमांक राजस्व/भू.आ./2022–23/2535–45 दिनांक :– 17.08.2022

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़
2. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/विकास अधिकारी धरियावद/प्रतापगढ़
3. क्षेत्रिय वन अधिकारी, रैंज धरियावद/प्रतापगढ़/देवगढ़
4. ग्राम पंचायत पहाड़ा/अणत पंचायत समिति धरियावद जिला प्रतापगढ़
5. ग्राम पंचायत नारायण खेड़ा पंचायत समिति प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर. डी. एस. ए. माईनिंग एल.एल.पी उदयपुर
7. आदेश पंजिका।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

सत्य प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी कोपिंग
कलेक्टेट प्रतापगढ़ (राज.)

MINING
IN: AAE-10

Scanned by CamScanner

जा सकेगा। ... मे तहसील ...

..A MINING LLP
..PIN : AAE - 1008

राजस्व परिशिष्ट-7
(AB TO GH)
17/9/2022

RDSA MINING

Ref. No. RDSA/Mines/22-23/17

सेवामें,
श्रीमान जिला कलक्टर महोदय
प्रतापगढ़ (राजस्थान)

दिनांक :–17.09.2022

विषयः– ग्राम दांता पंचायत समिति पीपलखूट में जारी वनाधिकार पत्र राजकीय पक्ष में समर्पण करने बावत्।

प्रसगः– आपके कार्यालय के पत्र कमांक : राजस्व / FRA–2006 / DLC / 2022 / 2533 दिनांक 17.08.2022

महोदय,

प्रत्यावर्तन हेतू प्रस्तावित ग्राम दांता की वन भूमि के 74.249 हैक्टर में से 2.70 हैक्टर भाग में 4 स्थानीय ग्राम वासियों को वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 अन्तर्गत जिलास्तरीय समिति द्वारा उक्त वन भूमि हेतु अधिकार पत्र जारी किये गये थे जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

क.सं	नाम	खंसरा नम्बर	क्षैत्रफल (हैक्टर)
1	नारायण / विठली हकरू	416 420	0.22 है. 0.22 है.
		योग	**0.44 है.**
2	रंगजी / शारदा हकरू	413 414 415	0.71 है. 0.20 है. 0.22 है.
		योग	**1.13 है.**
3	धीरज मल / काली मंगला	424	0.53 है.
4	सुरेश / चम्पा हकरू	421	0.60 है.
		कुल योग	**2.70 है.**

उक्त चार अधिकार पत्र धारकों ने प्रस्तावित क्षेत्र में खनन गतिविधियों हेतु यथा योग्य मुआवजा / प्रतिकर राशि फर्म से प्राप्त कर अपने अधिकार पत्र समर्पित कर दिये है।

पूर्व में जारी अधिकार पत्रों एवं अधिकार समर्पण पत्रों की मूल प्रतिया संलग्न प्रस्तुत है।

RDSA MINING LLP
(V.K. GHIYA)
Chief Executive Officer

भवदीय
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
RDSA MINING LLP

(The LLP is Registered with Limited Liability)

Scanned by CamScanner

(A)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

Serial No 2858 R 632503

Date : 25/5/22

अधिकार समर्पण शपथ पत्र

हम नारायण पुत्र श्री हकरू उम्र 49 वर्ष एव विठली पत्नि नारायण उम्र 53 वर्ष जाति भील निवासी मुकाम दाता तहसील पीपलखुट जिला प्रतापगढ (राज.) शपथ पूर्वक कथन करते हैं कि :–

1. यह कि राजस्व ग्राम दांता ग्राम पंचायत बोरी पटवार हल्का बोरी तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ (राज.) वन खण्ड गमरगढ–पानडिया की वन भूमि आराजी संख्या 416 रकबा 0.22 हैक्टर एवं आराजी संख्या 420 रकबा 0.22 हैक्टर कुल रकबा 0.44 हैक्टर भूमि का हमें और हमारे परिवार को अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के तहत वनाधिकार नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के नियम 8 (ज) के तहत् उक्त वन भूमि के अधिभोग के अधीन वन भूमि के कृषि हेतु हक जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, प्रतापगढ द्वारा "उपाबंध–2" में जरिये आदेश क्रमांक :– जि.../राजस्व/व.अ./पीपलखुंट/10/2688 दिनांक 15.12.2009 को प्रदान किया गया है।

यह कि उक्त अधिकार पत्र अनुसार हम और हमारा परिवार उक्त वन भूमि के दिनांक 13.12.2005 से पूर्ववत् अधिभोग अनुसार उपभोग निर्विवादित रूप से करते चले आ रहे हैं।

यह कि हमारे द्वारा अधिभोगित भूमि के संबंध में राज्य सरकार प्रस्तावित योजना अनुसार उक्त वन भूमि का अन्य ... उपयोग करना चाहती है जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं हैं। उक्त वन भूमि के सरक्षण एवं संवर्धन ... द्वारा आदिनांक तक किए गए समस्त व्यय राशियों के बदले प्रतिकर स्वरूप वर्तमान प्रचलित विधियों के ... नियत राशि प्रदान करा दी गई है जिससे हम पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हैं। अतः उक्त अधिकार पत्र राज्यहित में समर्पित करते हैं।

दिनांक :– 25/5/2022

नारायण
हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

सत्यापन

हम नारायण पुत्र श्री हकरू उम्र 49 वर्ष एवं विठली पत्नि नारायण उम्र 53 वर्ष जाति भील निवासी मुकाम दांता तहसील पीपलखुट जिला प्रतापगढ (राज.) सत्यापन करते हैं कि :–

1. यह कि हमारे द्वारा प्रस्तुत समर्पण शपथ पत्र के पैरा 1 से लगायत अन्त तक वर्णित समस्त कथन हमारी निजी जानकारी से सत्य एवं सही है। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो हम स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

दिनांक :–

Sworn & Thumb Before Me
Hence Attested

Sworn & Signed Before Me
Hence Attested

NIRAJ KUMAR JAIN, Advocate
Notary Public (Govt. of India)
GAHTOL, BANSWARA (RAJ.)

NIRAJ KUMAR JAIN, Advocate
Notary Public (Govt. of India)
GAHTOL BANSWARA (RAJ.)

हस्ताक्षर

नारायण

हस्ताक्षर

NOTARY ★ GOVT. OF INDIA ★ NIRAJ KUMAR JAIN AREA-GHATOL BANSWARA (Rajasthan) Regn. No. 14161 Expiry Date 21-04-2024

NOTARIAL

Scanned by CamScanner

3163 25-5-22

[illegible]

[illegible]	
1 [illegible]	50
2 [illegible]	100
	150
[illegible]	

प्रपत्र 2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

जिला – प्रतापगढ़ (राज0)

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता))
(नियम 2008 का नियम 8 (ज) देखें)
अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

दिनांक – 15/12/09 रजि.स./राजस्व/व.प्र./पीपलखुंट /10, 21

वन अधिकारो के धारको के नाम (पति या पत्नि सहित) नारायण–विठली

पिता/माता का नाम हकरू

आश्रितों के नाम

जाति अजजा

ग्राम व मता दांता

ग्राम पंचायत बोरी

तहसील पीपलखुंट

वनखण्ड पानडिया

खसरा न0 व क्षेत्रफल जिसमें से वनाधिकार दिये जाने है (प्रमुख सीमाचिन्ह इत्यादि)

गाँव का नाम	खसरा न.	कुल रकबा (हे0)	वनाधिकार प्राप्त रकबा(हे0)
दांता	416	0.22	0.22
	420	0.22	0.22
	कुल वनाधिकार प्राप्त रकबा(हे0)		0.44

यह हक दाय योग्य है, किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है।

हम अधोहस्ताक्षरी, **राजस्थान सरकार** के लिये और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिये हस्ताक्षर करते है।

उप परियोजना अधिकारी
जन जातीय क्षैत्रिय विभाग
प्रतापगढ़

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

जिला कलेक्टर
प्रतापगढ़

आई टी सेल कलक्ट्रेट – प्रतापगढ़

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

Serial No 2060 R 632501

Date : 25/5/2022

अधिकार समर्पण शपथ पत्र

हम रंगजी पुत्र श्री हकरू उम्र 48 वर्ष एवं शारदा पत्नि रंगजी उम्र 56 वर्ष जाति भील निवासी मुकाम दाता तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ (राज.) शपथ पूर्वक कथन करते हैं कि :-

1. यह कि राजस्व ग्राम दांता ग्राम पंचायत बोरी पटवार हल्का बोरी तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ (राज.) वन खण्ड गमरगढ–पानडिया की वन भूमि आराजी संख्या 413 रकबा 0.61 हैक्टर, आराजी संख्या 414 रकबा 0.20 हैक्टर एवं आराजी संख्या 415 रकबा 0.22 हैक्टर कुल रकबा 1.03 हैक्टर भूमि का हमें और हमारे परिवार को अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा ... के तहत वनाधिकार नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के नियम 8 (ज) के तहत उक्त वन भूमि के अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए कृषि हेतु हक जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, प्रतापगढ द्वारा "उपाबंध–2" ... जरिये आदेश क्रमांक :– रजि.सं./राजस्व/व.अ./पीपलखुंट/10/2716 दिनांक 15.12.2009 को प्रदान किया ... गया है।

2. यह कि उक्त अधिकार पत्र अनुसार हम और हमारा परिवार उक्त वन भूमि के दिनांक 13.12.2005 से पूर्व ... अधिभोग अनुसार उपभोग निर्विवादित रूप से करते चले आ रहे हैं।

3. यह कि हमारे द्वारा अधिभोगित भूमि के संबंध में राज्य सरकार प्रस्तावित योजना अनुसार उक्त वन भूमि का अ... प्रयोजन हेतु उपयोग करना चाहती है जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है । उक्त वन भूमि के संरक्षण एवं संवर्ध... हेतु मेरे द्वारा आदिनांक तक किए गए समस्त व्यय राशियों के बदले प्रतिकर स्वरूप वर्तमान प्रचलित विधियों अनुसार नियत राशि प्रदान करा दी गई है जिससे हम पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हैं । अतः उक्त अधिकार ... राज्यहित में समर्पित करते हैं ।

दिनांक :- 25/5/2022

हस्ताक्षर रंगजी

हस्ताक्षर

सत्यापन

हम रंगजी पुत्र श्री हकरू उम्र 48 वर्ष एवं शारदा पत्नि रंगजी उम्र 56 वर्ष जाति भील निवासी मुकाम दांता तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ (राज.) सत्यापन करते हैं कि :-

1. यह कि हमारे द्वारा प्रस्तुत समर्पण शपथ पत्र के पैरा 1 से लगायत अन्त तक वर्णित समस्त कथन हमारी नि... जानकारी से सत्य एवं सही है ... कोई त्रुटि होती है तो हम स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

Sworn & Thumb Before Me Hence Attested

Sworn & Signed Before Me Hence Attested

दिनांक :- 25/5/2022

NIRAJ KUMAR JAIN, Advocate

NIRAJ KUMAR JAIN, Advocate Notary Public (Govt. of India)

हस्ताक्षर रंगजी

हस्ताक्षर

NOTARIAL

NOTARY GOVT. OF INDIA

Scanned by CamScanner

(D)

"उपाबंध 2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

जिला – प्रतापगढ़ (राज0)

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता))
(नियम 2008 का नियम 8 (ज) देखें)
अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

दिनांक – 15/12/09

रजि.स./राजस्व/व.अ./पीपलखुंट /10/2716

वन अधिकारो के धारको के नाम (पति या पत्नि सहित) रंगजी–शारदा

पिता/माता का नाम हकरू

आश्रितो के नाम

जाति अजजा

ग्राम व पता दांता

ग्राम पंचायत बोरी

तहसील पीपलखुंट

वनखण्ड पानडिया

खसरा न0 व क्षैत्रफल जिसमें से वनाधिकार दिये जाने है (प्रमुख सीमाचिन्ह इत्यादि)

गॉव का नाम	खसरा न	कुल रकबा (है0)	वनाधिकार प्राप्त रकबा(है0)
दाता	413	0.71	0.61
	414	0.20	0.20
	415	0.22	0.22
	कुल वनाधिकार प्राप्त रकबा(है0)		**1.03**

यह हक दाय योग्य है, किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है।

हम अधोहस्ताक्षरी, **राजस्थान सरकार** के लिये और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिये हस्ताक्षर करते है।

उप परियोजना अधिकारी
जन जातीय क्षैत्रिय विभाग
प्रतापगढ़

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned by CamScanner

(E)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

Serial No 4097 R 632860
Date : 15/7/2022

अधिकार समर्पण शपथ पत्र

हम **सुरेश मईडा पुत्र श्री हकरू मईडा** उम्र 51 वर्ष एवं **चम्पा देवी मईडा पत्नी सुरेश मईडा** उम्र 52 वर्ष जाति भील निवासी मुकाम दांता तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ (राज.) शपथ पूर्वक कथन करते हैं कि :--

1. यह कि राजस्व ग्राम दांता ग्राम पंचायत बोरी पटवार हल्का बोरी तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ (राज.) वन खण्ड गमरगढ--पानडिया की वन भूमि आराजी संख्या 421 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि का हमें और हमारे परिवार को अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के तहत वनाधिकार नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के नियम 8 (ज) के तहत् उक्त वन भूमि के अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए कृषि हेतु हक जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, प्रतापगढ द्वारा "उपाबंध--2" जरिये आदेश क्रमांक :-- रजि.सं./राजस्व/व.अ./पीपलखुंट/10/3970 दिनांक 15.12.2009 को प्रदान किया गया है।
2. यह कि उक्त अधिकार पत्र अनुसार हम और हमारा परिवार उक्त वन भूमि के दिनांक 13.12.2005 से पूर्ववत् अधिभोग अनुसार उपभोग निर्विवादित रूप से करते चले आ रहे हैं।
3. यह कि हमारे द्वारा अधिभोगित भूमि के संबंध में राज्य सरकार प्रस्तावित योजना अनुसार उक्त वन भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग करना चाहती है जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है । उक्त वन भूमि के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हमारे द्वारा आदिनांक तक किए गए समस्त व्यय राशियों के बदले प्रतिकर स्वरूप वर्तमान प्रचलित विधियों के अनुसार नियत राशि प्रदान करा दी गई है जिससे हम पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हैं । अतः उक्त अधिकार पत्र राज्यहित में समर्पित करते हैं ।

दिनांक :-- 15/7/2022

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

NOTARY
NIRAJ KUMAR JAIN
AREA-GHATOL
BANSWARA
(Rajasthan)
Regn.No.14161
Expiry Date
21-04-2024
GOVT. OF INDIA

NOTARIAL

सत्यापन

हम **सुरेश मईडा पुत्र श्री हकरू मईडा** उम्र 51 वर्ष एवं **चम्पा देवी मईडा पत्नी सुरेश मईडा** उम्र 52 वर्ष जाति भील निवासी मुकाम दांता तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ (राज.) सत्यापन करते हैं कि :--

1. यह कि हमारे द्वारा प्रस्तुत समर्पण शपथ पत्र के पैरा 1 से लगायत अन्त तक वर्णित समस्त कथन हमारी निजी जानकारी से सत्य एवं सही है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो हम स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

Sworn & Signed before me
Hence Attested

दिनांक :-- 15/7/2022

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

NIRAJ KUMAR JAIN, Advocate
Notary Public (Govt. of India)
GAHTOL BANSWARA (RAJ.)

Scanned by CamScanner

विशाल [illegible]या, स्टाम्प वेण्डर, अनुज्ञा पत्र सं. B08/2020
रजिस्टर [illegible] म संख्या 1468 दिनांक 15/07/2022
मुद्रांक [illegible] व [illegible] संख्या 500/-
मुद्रांक [illegible] का नाम सुरेश भईडा
पिता/पति का नाम हकरू भईडा [illegible]
पता [illegible] दाता त० पीपलखुट
प्रायोजन अधिकार समर्पण/शपथपत्र
हस्ते [illegible] की दशा में हस्ते का नाम पता
क्रेता/[illegible] के हस्ताक्षर .... मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार

1. आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा3-क)-10% रुपये 50
2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख) प्राकृतिक आपदाओ एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण हेतु-20% रुपये 100

कुल योग 150

हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर

Scanned by CamScanner

"उपाबंध 2
भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

जिला – प्रतापगढ़ (राज0)

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता))
(नियम 2008 का नियम 8 (ज) देखें)
अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

दिनांक – 15.12.09 रजि.स. / राजस्व / व.अ. /पीपलखुंट / 10/3970

वन अधिकारो के धारको के नाम (पति या पत्नि सहित) सुरेश–चम्पा

पिता / माता का नाम हकरू

आश्रितो के नाम

जाति अजजा

ग्राम व पता दांता

ग्राम पंचायत बोरी

तहसील पीपलखुंट

वनखण्ड पानडीया

खसरा न0 व क्षेत्रफल जिसमें से वनाधिकार दिये जाने है (प्रमुख सीमाचिन्ह इत्यादि)

गॉव का नाम	खसरा न.	कुल रकबा (है0)	वनाधिकार प्राप्त रकबा(है0)
दांता	421	0.60	0.60
	कुल वनाधिकार प्राप्त रकबा(है0)		**0.60**

यह हक दाय योग्य है, किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है।

हम अधोहस्ताक्षरी, **राजस्थान सरकार** के लिये और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिये हस्ताक्षर करते है।

उप परियोजना अधिकारी
जन जातीय क्षैत्रिय विभाग
प्रतापगढ़

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

Serial No 3007 | E 642581

Date : 20/5/22

अधिकार समर्पण शपथ पत्र

हम धीरजमल पुत्र श्री मंगला उम्र 64 वर्ष एवं काली पत्नि धीरजमल उम्र 53 वर्ष जाति भील निवासी मुकाम दाता तहसील पीपलखुट जिला प्रतापगढ़ (राज.) शपथ पूर्वक कथन करते हैं कि :-

1. यह कि राजस्व ग्राम दाता ग्राम पंचायत बारी पटवार हल्का बारी तहसील पीपलखुट जिला प्रतापगढ़ (राज.) वन खण्ड गमरगढ़–पानडिया की वन भूमि आराजी संख्या 424 रकबा 0.53 हैक्टर भूमि का हमें और हमारे परिवार को अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा ...(1) के तहत वनाधिकार नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के नियम 8 (ज) के तहत उक्त वन भूमि के अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए कृषि हेतु हक जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, प्रतापगढ़ द्वारा प्रपत्र-2 ... आदेश क्रमांक :- रजि.सं./राजस्व/व.अ./पीपलखुट/10/2/17 दिनांक 15.12.2006 को प्रदान किया गया है।

... कि उक्त अधिकार पत्र अनुसार हम और हमारा परिवार उक्त वन भूमि के दिनांक 13.12.2005 से पूर्व ... अनुसार उपभोग निर्विवादित रूप से करते चले आ रहे हैं।

... द्वारा अधिभोगित भूमि के संबंध में राज्य सरकार प्रस्तावित योजना अनुसार उक्त वन भूमि का अन्य ... उपयोग करना चाहती है जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। उक्त वन भूमि के संरक्षण एवं संवर्धन ... द्वारा आदिनांक तक किए गए समस्त व्यय राशियों के बदले प्रतिकर स्वरूप वर्तमान प्रचलित विधियों ... अनुसार नियत राशि प्रदान करा दी गई है जिससे हम पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हैं। अतः उक्त अधिकार पत्र ... राज्यहित में समर्पित करते हैं।

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

दिनांक :- 20/5/2022

सत्यापन

हम धीरजमल पुत्र श्री मंगला उम्र 64 वर्ष एवं काली पत्नि धीरजमल उम्र 53 वर्ष जाति भील निवासी मुकाम दाता तहसील पीपलखुट जिला प्रतापगढ़ (राज.) सत्यापन करते हैं कि :-

1. यह कि हमारे द्वारा प्रस्तुत समर्पण शपथ पत्र के पैरा 1 से लगायत अन्त तक वर्णित समस्त कथन हमारी निजी जानकारी से सत्य एवं सही है। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो हम स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

Sworn & Signed Before Me
Hence Attested

दिनांक :- 20/5/2022 हस्ताक्षर हस्ताक्षर

NOTARY GOVT. OF INDIA — NIRAJ KUMAR JAIN, AT BAGHATOL, BANSWARA (Rajasthan)

NIRAJ KUMAR JAIN, Advocate

Scanned by CamScanner

कुमार स्टाम्प वेन्डर, अनुज्ञा पत्र सं. 10/06

क्रम संख्या 3551 दिनांक 30-5-22

न्यू व क्रम संख्या ....

का नाम ....

का नाम ....

की दशा में हस्ते का नाम पता ....

के हस्ताक्षर

मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर

अधिनियम 1998

50

100

150

Scanned by CamScanner

(H)

उपाबंध 2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

जिला – प्रतापगढ़ (राज0)

(अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता))

(नियम 2008 का नियम 8 (ज) देखो)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

दिनांक 18/12/08 रजि.स. राजस्व/व.अ. पीपलखूंट /10/2717

वन अधिकारों के धारकों के नाम (पति या पत्नि सहित) वीरजमल काली

पिता/माता का नाम मगना

आश्रितों के नाम

जाति अजजा

ग्राम व पता दाता

ग्राम पंचायत बोरी

तहसील पीपलखुंट

वनखण्ड पानडिया

खसरा न0 व क्षैत्रफल जिसमें से वनाधिकार दिये जाने है (प्रमुख सीमाचिन्ह इत्यादि)

गाँव का नाम	खसरा न.	कुल रकबा (है0)	वनाधिकार प्राप्त रकबा(है0)
दाता	424	0.53	0.53
	590/425	1.70	0.43
	कुल वनाधिकार प्राप्त रकबा(है0)		**0.96**

यह हक दाय योग्य है, किन्तु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है।

हम अधोहस्ताक्षरी **राजस्थान सरकार** के लिये और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिये हस्ताक्षर करते हैं।

उप परियोजना अधिकारी
जन जातीय क्षैत्रिय विभाग
प्रतापगढ़

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned by CamScanner